सुविचार
जो लोग पूरे मन से काम में जुट जाते हैं, संदेह खुद-ब-खुद उनसे दूर हो जाता है।
कुल पेज 16+4=20, मूल्य ₹ 5.00
वर्ष 27 अंक 41 महानगर
देश का नंबर 1 अख़बार
दैनिक भास्कर
सच्ची बात, बेधड़क
दैनिक भास्कर 3 गुना ज़्यादा
हरियाणा से प्रकाशित नं.1 अख़बार
हिसार, हरियाणा, मंगलवार 14 जुलाई, 2026 आषाढ़ कृष्ण पक्ष-अमावस्या, 2083 12 राज्य | 61 संस्करण

कार्यालय प्राचार्य प्रियदर्शिनी राजकीय महिला महाविद्यालय, जींद

निविदा सूचना (कॉलेज कैंटीन बोलियां आमंत्रण)

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रियदर्शिनी राजकीय महिला महाविद्यालय, जींद की कॉलेज कैंटीन को सत्र 2026-27 के लिए ठेके पर देने के लिए इच्छुक व्यक्तियों से निविदा आमंत्रित की जा रही हैं। कैंटीन ठेके पर लेने के इच्छुक आवेदक महाविद्यालय प्रांगण से फॉर्म लेकर या कॉलेज वेबसाइट (http://piggcwjind.ac.in) पर नोटिस सेक्शन से डाउनलोड करके, उसे भरकर 25.07.2026 तक महाविद्यालय में जमा करवा सकते हैं।

मुख्य शर्तें व नियम निम्न प्रकार से होंगेः-

1. 25.07.2026 को शाम 4 बजे के बाद आवेदन फॉर्म स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
2. फॉर्म के साथ सभी दस्तावेज पूर्ण रूप से भरकर जमा करवायें। फॉर्म में कटिंग मान्य नहीं होगी।
3. आवेदन करने वाले सभी लोगों को प्राचार्य, P.I.G. राजकीय महाविद्यालय, जींद के नाम पर 10,000/-की राशि ईएमडी (EMD) के रूप में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा करनी होगी।
4. न्यूनतम बोली राशि 14,400/- (चौदह हजार चार सौ रुपये) मासिक है। बाकी सभी शर्तें फॉर्म अनुसार मान्य होंगी।
5. नियमों में परिवर्तन करने एवं बिना कारण बोली रद्द करने का अधिकार प्राचार्य, प्रियदर्शिनी राजकीय महिला महाविद्यालय, जींद के पास सुरक्षित होगा।

नोटः महाविद्यालय की कैंटीन का ठेका देने में महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) को प्राथमिकता दी जाएगी।

प्राचार्य
राजकीय महिला महाविद्यालय
राजकीय महिला महाविद्यालय, जींद

1031/11/413/2027/47115/10/6

The Tribune

VOICE OF THE PEOPLE

CHANDIGARH | GURUGRAM | JALANDHAR | BATHINDA | VOL. 146 NO. 193 | 16 PAGES | ₹5.00 | REGD. NO. CHD/0006/2024-2026 ESTABLISHED IN 1881

UK PROSCRIBES IRGC, LINKED GROUP AS NAT'L SECURITY THREATS WORLD

LADAKH TO SET UP AUTONOMOUS HILL COUNCILS IN 7 DISTS J&K

HDFC BANK TRIMS WORKFORCE BY OVER 3,300 IN FY26 BUSINESS

GOVT TURNING EDUCATION SYSTEM INTO EXTORTION RACKET: RAHUL NATION

/THETRIBUNECHD /THETRIBUNECHD WWW.TRIBUNEINDIA.COM

TUESDAY | 14 JULY 2026

Office of the Principal, Government College for Women, Jind

PUBLIC NOTICE

Invitation of Bids for Running the College Canteen

Applications are invited from interested individuals/ agencies for awarding the contract to operate the College Canteen of P.I.G. Government College, Jind for the academic session 2026-27.

Interested applicants may obtain the application form from the College Office or download it from the Notice section of the College website: **http://piggcwjind.ac.in**. The duly completed application form must be submitted to the College Office on or before 25 July 2026.

Terms and Conditions

1. Applications received after 4:00 PM on 25th July 2026 will not be accepted.
2. The application form must be submitted along with all the required documents, duly completed. Forms containing overwriting or unauthorized corrections/ cuttings shall not be accepted.
3. Every applicant must submit an Earnest Money Deposit (EMD) of ₹ 10,000/- (Rupees Ten Thousand only) in the form of a Demand Draft drawn in favour of the Principal, P.I.G. Government College, Jind.
4. The minimum monthly bid amount shall be ₹ 14,400/- (Rupees Fourteen Thousand Four Hundred only). All other terms and conditions mentioned in the application form shall also be applicable.
5. The Principal, P.I.G. Government College, Jind reserves the right to amend the terms and conditions or to reject any or all bids without assigning any reason.

Note:- Preference shall be given to Women's Self Help Groups (SHGs) while awarding the canteen contract.

Sd/- **Convener**
Canteen Committee

Sd/- **Principal**
P.I.G. Government College, Jind.

PRDH/1031/11/413/2027/47115/31/4

कॉलेज कैंटीन पर ठेके पर देने हेतु शर्तें

1. टैंडर देने की इच्छुक महिला को 1000/- रूपये के मूल्य के टैंडर फॉर्म के साथ प्राचार्य, राजकीय महिला महाविद्यालय, जीन्द के पक्ष में जारी 10000/- रूपये की राशि का डिमांड ड्राफट Earnest Money के तौर पर जमा करवाकर पावती लेनी होगी। डिमांड ड्राफट को टैंडर में असफल रहने वाली सभी महिलाओं / महिला स्वंय सहायता समूह को टैंडर खोलने की प्रकिया पूरी होने के तत्काल बाद वापिस कर दिया जाएगा। सफल टैडर-धारक की राशि को प्रतिभूति की राशि में समायोजित किया जाएगा। एक से अधिक टैंडर फार्म में अधिकतम मासिक किराया समान पाए जाने पर महिला स्वंय सहायता समूह को प्राथमिकता दी जाएगी। अन्यथा फैसला टॉस से किया जाएगा। केवल सफल टैंडर-धारक ही कैंटीन संचालन हेतु पात्र होगा।
2. महाविद्यालय द्वारा काली सूची में रखे गए पूर्व ठेकेदार टैंडर-फार्म भरने के अपात्र होंगे।
3. कैंटीन का आरक्षित मासिक किराया 14400/- रूपये (चौदह हजार चार सौ) हैं। अतः टैंडर फार्म में इससे कम मासिक किराया भरने वाले का टैंडर अमान्य होगा।
4. कैंटीन को ठेके पर देने की अवधि टैंडर खुलने की तिथि से 25.07.2026 तक होगी। बीच में ठेका छोड़ने पर टैंडर-धारक की प्रतिभूति की राशि जब्त करने के साथ-साथ उसे भविष्य में कैंटीन को ठेके पर लेने की प्रक्रिया में भाग लेने का अपात्र घोषित कर दिया जाएगा।
5. टैंडर से ठेका लेने में सफल महिला को प्रतिभूति के रूप में Earnest Money सहित कुल 50000/- रूपयें की राशि (Refundable) टैंडर खुलने की प्रकिया पूरी होने के 24 घंटे में नकद या प्राचार्य के पक्ष में जारी डी.डी के माध्यम से महाविद्यालय में जमा करवानी होगी। ऐसा न करने पर उसकी Earnest Money को जब्त करके टैंडर में दूसरे स्थान पर रहने वाली महिला या महिला स्वंय सहायता समूह को कैंटीन चलाने का ठेका देकर प्रतिभूति राशि जमा करवाने का अवसर दिया जाएगा।
6. केवल महिला या महिला स्वंय सहायता समूह के नाम से ही टैंडर फार्म जमा करवाया जा सकता है। कैंटीन में कर्मचारी महिलाएं होगी। बच्चों को काम पर नहीं रखा जा सकेगा।
7. मासिक किराया प्रत्येक महिने की 15 तारीख तक अग्रिम जमा करवाना होगा। ऐसा न किए जाने पर कैंटीन का ठेका स्वतः रद्द हो जाएगा तथा किराए व बिजली बिल की वसूली प्रतिभूति की राशि से की जाएगी। सफल टैंडर धारक को प्रतिभूति राशि जमा करवाने के तत्काल बाद कैंटीन परिसर पर कब्जा लेना होगा तथा उसी दिन से किराया आरम्भ हो जाएगा।
8. कैंटीन परिसर में महाविद्यालय की तरफ से केवल बैंच उपलब्ध करवाए गए है। कैंटीन चलाने हेतु अन्य सभी सामान (बर्तन, फर्नीचर आदि) का प्रबंध टैंडर धारक द्वारा अपने स्तर पर करना होगा।
9. कैंटीन में प्रयोग किया जाने वाला जल स्वच्छ होना चाहिए।
10. कैंटीन केवल कार्यदिवस तथा महाविद्यालय में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के दिन ही खुलेगी। कैंटीन खुलने का समय सुबह 8:00 बजे से सांय 4:30 बजे तक का होगा।

11.कैंटीन पर उच्च गुणवत्ता का सामान प्राचार्य से अनुमोदित रेट लिस्ट पर बेचा जाएगा। कैंटीन कमेटी सामान की गुणवत्ता तथा अन्य नियमों की पालना सुनिश्चित करवाने हेतु समय-समय पर कैंटीन का निरीक्षण करने के लिए अधिकृत होगी।

12.कैंटीन में प्रयोग की जाने वाली बिजली का खर्च टैंडर-धारक वहन करेगा। इसका निर्धारण महाविद्यालय के बिजली के बिल तथा कैंटीन में लगे सब-मीटर द्वारा निकाली गई यूनिटों से किया जाएगा।

13.कैंटीन की सफाई तथा इससे उत्पन्न होने वाले कुड़े के महाविद्यालय परिसर से बाहर निस्तारण की जिम्मेदारी टैंडर-धारक की होगी।

14.टैंडर-धारक तथा उसके कर्मचारियों पर महाविद्यालय में लागू अनुशासन संबंधी नियम लागू होंगे।

15.उधार पर सामान देने की स्थिति में उधारी वसूली हेतु महाविद्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

16.महाविद्यालय परिसर में वीटा अनुमोदित सामान की बिक्री हेतु एक वीटा बूथ चल रहा है तथा वह कैंटीन के साथ-साथ चलता रहेगा। इस पर टैंडर-धारक कोई आपत्ति दर्ज नहीं करवा सकेगा।

17.सफल टैंडर-धारक को नाम सहित अपना पूरा पता तथा उससे संबधित दस्तावेज महाविद्यालय में जमा करवाने होंगे।

18.टैंडर संबधी सभी प्रकार के अधिकार प्राचार्य के पास सुरक्षित रहेंगे तथा उसे टैंडर स्वीकार करने व रद्द करने का अधिकार होगा।

S.Ashni

Sarit
15/7/26

प्राचार्य
प्राचार्य
राजकीय महिला महाविद्यालय
राजकीय महिला महाविद्यालय जींद
जीन्द।